



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 मार्च, 1994

फाल्गुन 26, 1915 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 459/17-वि--1-1(क)-4-1994

लखनऊ, 17 मार्च, 1994

अधिसूचना

प्रकीर्ण

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 17 मार्च, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) अधिनियम, 1994

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1994]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अधिनियम, 1979 के निरसन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) अधिनियम, 1994 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह 1 सितम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 18
सन् 1979 का
निरसन

2--उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अधिनियम, 1979 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

No.459(2)/XVII-V-1-1(KA)-4-1994

Dated Lucknow, March 17, 1994

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Parivahan Gadi (Pathakar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 17, 1994.

**THE UTTAR PRADESH MOTOR TRANSPORT VEHICLES (TOLL)
(REPEAL) ACT, 1994**

[U. P. Act No. 2 of 1994]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN
ACT

to repeal the Uttar Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) (Repeal) Act, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 1, 1993.

Repeal of U.P.
Act no. 18 of
1979.

2. The Uttar Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Act, 1979 is hereby repealed.

By order,
N. K. NARANG,
Secretary,